



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2014—आश्विन 21, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

अधि. क्र. 80-एफ-1-33-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक नियम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 की उपधारा (2) तथा धारा 433 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) निर्वाचन आयोग प्रत्येक नगरपालिका के लिये अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए वार्डवार प्ररूप-1 में मतदाताओं की सूची देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में तैयार करवाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग प्ररूप-1 में परिवर्तन कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।”.

2. नियम 69-ग में, उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3) मतदाता का डाटा इलैक्ट्रॉनिक बोटिंग मशीन की नियंत्रण इकाई (कन्ट्रोल यूनिट) में दो जगह अभिलिखित होता है। एक नियंत्रण इकाई की मेमोरी में अभिलिखित होता है तथा दूसरा इकाई में स्थापित, डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल (डीएमएम) में अभिलिखित होता है। निर्वाचन आयोग, न्यायालयीन प्रकरणों में उपयोग के लिए, निर्वाचनों के परिणाम की घोषणा हो जाने के पश्चात् डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल (डीएमएम) को सील करने के निर्देश जारी करेगा। आगामी निर्वाचनों के लिये कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। सील करने की प्रक्रिया आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी।”.

3. प्ररूप 23 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप-23  
(नियम 74 देखिए)  
निर्वाचन की घोषणा सह विवरणी

\*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत . . . . . के  
\*महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक . . . . . से, पार्षद् का निर्वाचन.

**( 1 ) निर्वाचन की विवरणी**

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	दल से सम्बद्धता (3)	प्राप्त हुए मतों की संख्या (4)
-------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------

मतदाताओं की कुल संख्या . . . . .  
डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . . .  
इनमें से कोई नहीं (नोटा) को प्राप्त मतों की संख्या . . . . .  
अविधिमान्य (प्रतिक्षेपित) मतों की कुल संख्या . . . . .  
निविदत्त मतों की कुल संख्या . . . . .

**( 2 ) विवरणी के आधार पर निर्वाचन की घोषणा**

मैं, घोषित करता हूँ कि :—

..... (नाम)  
..... (पता)  
.....

सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं/हुई हैं.

स्थान . . . . .  
तारीख . . . . .

हस्ताक्षर . . . . .  
रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)  
नाम . . . . .  
सील . . . . .

\*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

टिप्पणी.—किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मतों की साम्यता पाई जाने के मामले में, नियम 73 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्र. 80-एफ-1-13-2013-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 80-एफ-1-33-2013-अठारह-3, दिनांक 13 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2014

Not. No. 80-F-1-33-2013-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 and Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (2) of Section 32 read with Section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994, with consultation of the State Election Commission, namely :—

## AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The Election Commission shall subject to the provisions of the Act cause to be prepared in Form-1 a wardwise list of voters in Hindi written in the Devanagri script for each Municipality, State Election Commission may change in Form-1 as may deem necessary.".

2. In rule 69C, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The data of a voter is recorded in two places in the Control Unit of Electronic voting Machine. One is recorded in the memory of Control Unit and the other one is recorded in the Detachable Memory Module (D.M.M.) established in the Unit. The Election Commission shall issue instruction to seal after declaration of result of elections in the Detachable Memory Module (D.M.M.) for the use of court cases. The Control Unit and Ballet Unit shall be used for the forthcoming elections. The process of sealing shall be determined by the Commission.".

3. For Form-23, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM-23  
(See rule 74)

\*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat . . . . .

### **(1) Return of Election**

S. No. (1)	NAME OF CANDIDATE (2)	PARTY AFFILIATION (3)	NO. OF VOTES POLLED (4)
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Total No. of voters . . . . . Total number of valid votes Polled . . . . .

Number of votes obtained None of the above (NOTA) . . . . .

Total number of rejected votes . . . . .

Total number of tendered vaotes . . . . .

**(2) Declaration of Election on the basis of return**

I, declare that :—

..... (Name)

of ..... (Address)

has been duly elected.

..... Returning Officer (Municipality)

Place ..... (Name . . . . . )

Date ..... Seal .....

\*Strike off the in appropriate alternative.

**Note.—**In case of equality of votes is found to exist between any candidate, the procedure shall be follows as laid down in rule 73.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. KATIYA, Dy. Secy.